

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

(मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर दूरभाष:-0141-2611341 मेल ac.jaipur2.dev@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- रिक्त सम्पदा नीलामी /2022/ ३३८७

दिनांक :- २२/१२/२०२२

नीलामी सूचना

देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के इस कार्यालय के नियन्त्रणाधीन अलवर जिले में स्थित 8 रिक्त सम्पदाओं (व्यवसायिक/आवासीय) को सीलबंद लिफाफे में खुली नीलामी प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष के लिए किराये पर दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक बोलीदाता नीलामी की समस्त शर्तों के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोली दिनांक 11.01.2023 को सायं 6 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त बोलियों को नीलामी समिति द्वारा दिनांक 12.01.2023 को दोपहर 12 बजे खोला जायेगा। सम्पदाओं का विवरण एवं बोली की शर्तें www.sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है और बिड़ प्रपत्र इस कार्यालय से 200/- नकद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा sppp पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

१२४/

(महेन्द्र कुमार देवतवाल)
सहायक आयुक्त(द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

क्रमांक :- रिक्त सम्पदा नीलामी /2022/ ३३८८/०२२६

दिनांक :- २२/१२/२०२२

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, उद्योग एवं वाणिज्य उपक्रम देवस्थान विभाग राजस्थान—सरकार।
2. आयुक्त महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान—उदयपुर को सूचनार्थ एवं नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु सादर प्रेषित है।
3. ए.सी.पी. महोदया, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को नीलामी सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
5. श्रीमान कोषाधिकारी, अलवर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
6. श्रीमान मुख्य नगर परिषद अधिकारी, अलवर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
7. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग भरतपुर/हनुमानगढ़/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/वृन्दावन/ऋषभदेव/कोटा/अजमेर/जयपुर (प्रथम) को अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. निरीक्षक, देवस्थान विभाग, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी सूचना की प्रति कार्यालय एवं मंदिर सम्पदा पर चस्पा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

१२५/-

(महेन्द्र कुमार देवतवाल)
सहायक आयुक्त(द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

(मंदिर श्री रामचन्द्र जी, सिरहड्योढी बाजार, जयपुर दूरभाष:-0141-2611341 ईमेल ac.jaipur2.dev@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- रिवत सम्पदा नीलामी / 2022/१३३७७

दिनांक :- २१/१२/२२

बिड़-प्रपत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग राजस्थान-सरकार के इस कार्यालय के नियंत्रणाधीन अलवर जिले के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री मथुराधीश जी हजारी मौहल्ला अलवर एवं राधागोविन्द देव जी अलवर में स्थित 8 रिवत सम्पदाओं (आवासीय/व्यवसायिक) को सीलबंद लिफाफे की नीलामी प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष के लिए किराये पर दिया जाना है। इसके लिए इच्छुक बोलीदाता नीलामी की समस्त शर्तों के साथ बंद लिफाफे में अपनी बोली दिनांक 11.01.2023 को सायं 6 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्राप्त बोलियों को समिति द्वारा दिनांक 12.01.2023 को दोपहर 12 बजे खोला जायेगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् किसी भी बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। किराये पर दी जाने वाली सम्पदाओं का विवरण निम्नानुसार है-

कं सं.	नाम मंदिर	संपदा का विवरण	न्यूनतम बोली प्रतिमाह किराया	अमानत राशि	वार्षिक किराया
1	मंदिर श्री मथुराधीश जी अलवर	व्यवसायिक सम्पदा नम्बर (4)	1245	300	14940
2	मंदिर श्री मथुराधीश जी अलवर	व्यवसायिक सम्पदा नम्बर (5)	4385	1052	52620
3	मंदिर श्री मथुराधीश जी अलवर	व्यवसायिक सम्पदा नम्बर (6)	73685	17684	884220
4	मंदिर श्री मथुराधीश जी अलवर	आवासीय सम्पदा नम्बर (9)	2085	500	25020
5	मंदिर श्री मथुराधीश जी अलवर	व्यवसायिक सम्पदा नम्बर(10)	5340	1282	64080
6	मंदिर श्री मथुराधीश जी अलवर	व्यवसायिक सम्पदा नम्बर(11)	5010	1202	60120
7	मंदिर श्री राधागोविन्द देव जी महल चौक अलवर	व्यवसायिक सम्पदा नम्बर (1)	4196	1007	50352
8	मंदिर श्री राधागोविन्द देव जी महल चौक अलवर	व्यवसायिक सम्पदा नम्बर (2)	3565	856	42780

२४
(महेन्द्र कुमार देवतवाल)
सहायक आयुक्त(द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

बोली की शर्तें

1. **बोलीदाता की पात्रता:**— बोलीदाता को बोली के साथ अन्य विभागीय सूचनाओं के साथ—साथ आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाइल नंबर, ई—मेल आईडी एवं पैन नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। सफल बोलीदाता को अपना बैंक अकाउन्ट नम्बर, ब्रांच का नाम और आई.एफ.एस. कोड भी उपलब्ध करवाना होगा। बोलीदाता द्वारा किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी/बेदखली की कार्यवाही भी की जा सकेगी।
2. **धरोहर राशि:**— बोली के साथ बोलीदाता को वार्षिक न्यूनतम बोली दर राशि की 2 प्रतिशत धरोहर राशि डी.डी/बैंकर्स चैक के रूप में (जो कि सहायक आयुक्त द्वितीय देवस्थान विभाग जयपुर के पक्ष में जयपुर में देय हो) जमा करनी होगी। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। बोली में असफल रहने पर उक्त धरोहर राशि सम्बन्धित बोलीदाता को वापिस कर दी जावेगी। बोली में एच—2 के रूप में असफल बोलीदाता की धरोहर राशि सफल बोलीदाता एच—1 के द्वारा निर्धारित धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि तक विभाग के पास सुरक्षित रहेगी तदुपरान्त उसे यह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी। सफल बोलीदाता को उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत सक्षम अनुमोदन प्राप्ति उपरान्त जमा कराना होगा जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगा।
3. बोलीदाता द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप प्रपत्र—अ में किराये की मासिक दर ही अंकित की जानी है। इसके साथ ही निविदा की समस्त शर्तें बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जानी है। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. अधिकतम राशि के बोलीदाता को समिति द्वारा सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा तथा उससे निर्धारित अमानत राशि जमा करायी जायेगी। प्रत्येक नीलामी राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात ही अंतिम एवं प्रभावी होगी। राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार करने की स्थिति में जमा राशि बिना ब्याज के सफल बोलीदाता को लौटा दी जायेगी। आयुक्त/प्रमुख शासन सचिव महोदय देवस्थान विभाग से प्राप्त नीलामी अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को प्रदत्त मोबाइल नम्बर/ई—मेल आईडी से अथवा उनके पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित रूप में उपलब्ध करवा दी जायेगी। सफल बोलीदाता सूचना प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर बकाया राशि जमा करा कर संपदा का कब्जा आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा। उक्त नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने स्थिति में नीलामी निरस्त कर जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
5. **अनुबंधपत्र/लीज डीड़:**— सफल बोलीदाता द्वारा समस्त नीलामी राशि व अन्य बकाया राशि जमा करने के पश्चात किरायेनामे का अनुबंध पत्र/लीजडीड निष्पादित करना होगा। नीलामी की शर्तें एवं तत्प्रभावी जी.एफ.एण्ड ए.आर के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्रों को अनुबंध पत्र में समाहित किया जायेगा।
6. **किराया जमा कराने की व्यवस्था:**— किरायेदार मासिक किराया राशि जरिये नकद रसीद/चैक/ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा करा सकेगा।
7. देवस्थान विभाग की सम्पदा को किराये पर लेने के इच्छुक व्यक्ति इस कार्यालय से 200/- रुपये नगद जमा करवा कर बिड़ प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। अथवा ऑनलाईन SPP Portal से बिड़ प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। बिड़ प्रपत्र डाउनलोड करने पर उस बोलीदाता को सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग

- जयपुर के पक्ष में (जयपुर में देय) दो सौ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट/वैंकर्स चैक बिड़ के साथ संलग्न करना होगा। इसके अभाव में उक्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. सफल बोलीदाता को उस वर्ष की देय किराया राशि का 50 प्रतिशत सक्षम अनुमोदन प्राप्ति उपरान्त जमा करवाना होगा। बोली का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही सम्पदा किराये पर दी जायेगी। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में किरायानामा/अनुबन्ध पत्र विभाग के पक्ष में निष्पादित करना होगा।
 9. स्वीकृति पश्चात् 15 दिवस में सम्पदा का कब्जा प्राप्त करना होगा। बोली स्वीकार करने, स्थगित करने, नीलामी की दिनांक आगे बढ़ाने, तथा बोली बिना कारण अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी कमेटी तथा देवस्थान विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
 10. किरायेदार को अपनी सम्पति पर सहजदृश्य रूप में विभागीय फोरमेट कलर कोड व साईज के अनुसार देवस्थान विभाग का नाम एवं सम्पदा का विवरण लिखना आवश्यक होगा।
 11. विभागीय सम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिये दी गई है, उसका उसी प्रयोजन अनुरूप उपयोग किया जाएगा। प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतः निषिद्ध होगा तथा उनका नियमन नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किरायेदार को परिवर्तन व संपरिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। आवंटन के पश्चात् सम्पदा को उपकिरायेदारी/सहकिरायेदारी/साझेदारी पर देना निषेध रहेगा यदि ऐसा पाया जावे तो आवंटी एवं उपकिरायेदार/सहकिरायेदार /साझेदार की बेदखली करते हुये दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।
 12. विभागीय किरायेदार मंदिर मर्यादा के विरुद्ध कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नहीं करेगा यथा मांस, मंदिरा विक्रय, जूआ, सटटा व विधि के विरुद्ध आपराधिक गतिविधियां संचालित नहीं करेगा न ही उसमें संलिप्त होगा। निषिद्ध व्यवसायों की सूची देवस्थान विभाग समय—समय पर जारी करेगा, जिसको मानने के लिये किरायेदार अनिवार्य रूप से बाध्य होगा।
 13. किरायेदार को किसी भी रूप से सम्पति को रहन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।
 14. व्यक्ति की स्थिति में प्रत्येक किरायेदार को आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाइल नम्बर एवं ई—मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटो देना होगा। आवश्यकतानुसार उसे अपना बैक अकाउन्ट नंबर, ब्रांच और आईएफएससी कोड तथा पैन नम्बर भी प्रस्तुत करना होगा। संस्था की स्थिति में उनसे सम्बन्धित पंजीयन/लाईसेंस का नम्बर उपलब्ध करवाना होगा। तथा संस्था के मालिक/सदस्यों के आधार नं, मोबाइल नंबर एवं ई—मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।
 15. दुकानदार को अपने दुकान के साईनबोर्ड पर देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में साईज के अनुसार कलर बोर्ड में देवस्थान विभाग का नाम एवं संपदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा। साईनबोर्ड पर दुकान के विधिक प्रोपराईटर का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा।
 16. दुकान के भीतर उसे व्यवसाय से संबंधित अपने वैध लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करना होगा। उक्त लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र पर आवश्यक रूप से आवंटी का नाम होना चाहिये। यदि वह किसी फर्म या कम्पनी के नाम से है तो उसमें प्रोपराईटर का स्वामित्व आवश्यक रूप से आवंटी के नाम होना चाहिये। उक्त के

- अभाव में यह माना जायेगा कि मूल आवंटी किरायेदार द्वारा सम्पति को सबलेट कर नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा उसकी किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार पर नियमानुसार दण्डात्मक / बेदखली की कार्यवाही की जावेगी।
17. भवन के किसी भी विरुद्धपन अथवा क्षति कारित किये जाने अथवा बिना अनुमति के परिवर्तन किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक एवं बेदखली कार्यवाही का भागी होगा।
 18. बोली में अंकित सम्पदाओं को अधिकतम दस वर्ष की समयावधि तक के लिए किराये पर दिया जायेगा। तथा किराया राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जावेगी। इसके अतिरिक्त देवस्थान विभाग / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी इससे सम्बन्धित परिपत्रों तथा राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया नीति-2021 के समस्त प्रावधान लागू होगे।
 19. बोलीदाता द्वारा एक सम्पदा की बोली के लिए एक प्रपत्र ही भरा जाना है। यदि वही बोलीदाता निविदा सूचना में अंकित विभाग की अन्य सम्पदा को किराये पर लेना चाहे तो उसकी बोली के लिए उसे दूसरा बिड़ प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी बोलीदाता द्वारा एक बिड़ प्रपत्र के साथ एक से अधिक सम्पदाओं की दरें प्रस्तुत की गई तो वह बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
 20. बोली प्रस्तुत करते समय बंद लिफाफे पर सम्पदा का नाम, मंदिर का नाम व सूची में अंकित सम्पदा की क्रं.सं. आवश्यक रूप से अंकित की जानी है। बंद लिफाफे में प्रपत्र-अ पूर्ण कर हस्ताक्षरित बोली की शर्तें, आधार कार्ड व पैन कार्ड की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करनी है।
 21. इच्छुक बोलीदाता द्वारा कार्यालय निरीक्षक देवस्थान विभाग, अलवर से संपर्क कर बोली हेतु प्रस्तावित सम्पदाओं का भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है। सम्पदा जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में किराये पर दी जायेगी। यदि उसमें मरम्मत की आवश्यकता हो तो सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर उसकी मरम्मत करवा सकता है।
 22. विशेष परिस्थितियों में यदि किसी सम्पदा की नीलामी तिथि व समय में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित सम्पदा की नीलामी की तिथि व समय की सूचना बाद में पृथक से जारी कर दी जावेगी।
 23. देवस्थान विभाग विशेष परिस्थितियों में किरायेदार से किराया अवधि में एक माह का नोटिस देकर कभी भी सम्पदा को खाली करवा सकता है।
 24. प्रत्येक बोली सहायक आयुक्त/आयुक्त/शासन सचिव, देवस्थान विभाग से अनुमोदन पश्चात् ही प्रभावी मानी जायेगी।
 25. उक्त बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

८३
 (महेन्द्र कुमार देवतवाल)
 सहायक आयुक्त (द्वितीय)
 देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र—अ

सूची में अंकित सम्पदा की क्र. सं.	नाम मंदिर	सम्पदा का विवरण (बिड़ प्रपत्र के अनुसार सम्पदा की क्रम संख्या व उसका नाम अंकित करें)	बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तावित मासिक दर
	मंदिर श्री मथुराधीशजी अलवर		अंको में..... शब्दों में.....

नोट:-

1. बोलीदाता द्वारा बोली में दरें दस के गुणाक में ही प्रस्तुत करनी होगी।
2. इस प्रपत्र में नीलामी सूचना में वर्णित अनुसार ही विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद एवं स्थिति
मोबाईल नं.
मेल आईडी


सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

प्रपत्र-अ

सूची में अंकित सम्पदा की क्र. सं.	नाम मंदिर	सम्पदा का विवरण (बिड़ प्रपत्र के अनुसार सम्पदा की क्रम संख्या व उसका नाम अंकित करें)	बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तावित मासिक दर
	मंदिर श्री राधागोविन्ददेवजी अलवर		अंको में..... शब्दों में.....

नोट:-

- बोलीदाता द्वारा बोली में दरें दस के गुणाक में ही प्रस्तुत करनी होगी।
- इस प्रपत्र में नीलामी सूचना में वर्णित अनुसार ही विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिड़र के हस्ताक्षर मय दिनांक
बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद एवं स्थिति
मोबाईल नं.
मेल आईडी

१३
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर